इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2606

15 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

बिहार में इस्पात संयंत्र की स्थापना

2606 श्री रामविलास पासवान:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है बिहार के गया जिले में एक इस्पात संयंत्र की इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या इस्पात विभाग ने गया जिले के अतू गांव में इस्पात संयंत्र के लिए 75 एकड़ भूमि अधिगृहित भी की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यह इस्पात संयंत्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) और (ख): जी, हां। जून 2008 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बोर्ड ने बिहार के गया जिले में एक इस्पात प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) स्थापित करने हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमति प्रदान कर दी थी। सेल ने गया जिले के वजीरगंज ब्लॉक में स्थित आरू गांव में इस्पात प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) हेतु नवम्बर, 2008 में 27.3 एकड़ कृषीय भूमि का अधिग्रहण किया है।

(ग): मृदा जांच और स्थल के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। भूमि के उपयोग परिवर्तन अर्थात कृषि भूमि (वर्तमान में) को औद्योगिक भूमि में परिवर्तन हेतु बिहार सरकार की मंजूरी अभी लंबित है। भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुमति एक बार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के बाद परियोजना हेतु आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

****